न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ (चूरू)

पीठासीन अधिकारी– ओमप्रकाश वर्मा,आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या– 99 / 2023
आदेश दिनांक : 14.08.2024
सी.सी.एम.एस. : 186 / 2023

1. आशादेवी उर्फ आसीदेवी पत्नी नेमीचन्द पुत्री सोहनलाल जाति जाट निवासी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
2. नरेन्द्र कुमार पुत्री नेमीचन्द जाति जाट निवासी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

.........प्रार्थीगण

बनाम

1. भागीरथ पुत्र झाबरमल झूरिया जाति जाट निवासी ग्राम मरडादू बड़ी तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान
2. सुगनसिंह पुत्र झाबरमल झूरिया जाति जाट निवासी ग्राम मरडादू बड़ी तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान
3. केशरदेवी पत्नी जगदीश प्रसाद पुत्री मेघाराम दैया निवासी ग्राम मालासी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
4. चित्रा पुत्री जगदीश प्रसाद दोहिती मेघाराम दैया निवासी ग्राम मालासी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
5. बलवीरसिंह ढ़ाका पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
6. रघुनाथसिंह ढ़ाका पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
7. लालचन्द ढ़ाका पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
8. दीपक कुमार भास्कर पुत्र नेमीचन्द भास्कर जाति जाट निवासी वार्ड नं. 04, इन्द्रगिरी आश्रम के पास, कस्बा सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
9. रंजना पुत्री नेमीचन्द भास्कर जाति जाट निवासी वार्ड नं. 04, इन्द्रगिरी आश्रम के पास, कस्बा सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
10. महेशपाल सिंह पुत्र गंगासिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
11. बिशनसिंह पुत्र गंगासिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
12. ब्रह्मसिंह पुत्र गंगासिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
13. शेषपालसिंह पुत्र गंगासिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
14. गौरकंवर पत्नी गंगासिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
15. किरणकंवर पत्नी ब्रह्मसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
16. सांवलसिंह पुत्र नोमाराम ढ़ाका जाति जाट, निवासी ग्राम रोरू बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राजस्थान
17. श्यामलाल पुत्र नोपाराम ढ़ाका जाति जाट निवासी ग्राम रोरू बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राजस्थान
18. महिपाल पुत्र नोपाराम जाति जाट निवासी ग्राम रोरू बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राजस्थान
19. भवरी पुत्री नोपाराम जाति जाट निवासी ग्राम रोरू बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राजस्थान
20. शारदा पुत्री नोपाराम जाति जाट निवासी ग्राम रोरू बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राजस्थान
21. सीता पुत्री नोपाराम जाति जाट निवासी ग्राम रोरू बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राजस्थान
22. चुकीदेवी पत्नी नेमीचन्द ढ़ाका जाति जाट निवासी ग्राम रोरू बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राजस्थान
23. राजेश कुमार ढ़ाका पुत्र नेमीचन्द ढ़ाका जाति जाट निवासी ग्राम रोरू बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राजस्थान
24. अर्चना पुत्री नेमीचन्द ढ़ाका जाति जाट निवासी ग्राम रोरू बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राजस्थान
25. विजयपाल पुत्र मोबाराम ढ़ाका जाति जाट निवासी ग्राम रोरू बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राजस्थान

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

26. प्रताप पुत्र खेमाराम बुरड़क जाति जाट निवासी ग्राम ढाणी सानण डूँगरी के पास, तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
27. विमलादेवी पुत्री खेमाराम बुरड़क जाति जाट निवासी ग्राम ढाणी सानण डूँगरी के पास, तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
28. ललिता पत्नी विद्याधर बुरड़क जाति जाट निवासी ग्राम ढाणी सानण डूँगरी के पास, तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
29. धनिष्ठा पुत्री विद्याधर बुरड़क जाति जाट निवासी ग्राम ढाणी सानण डूँगरी के पास, तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
30. शिवाय पुत्र विद्याधर बुरड़क जाति जाट निवासी ग्राम ढाणी सानण डूँगरी के पास, तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
31. पूर्णाराम पुत्र नानूराम भार्गव जाति भार्गव निवासी ग्राम खुडी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
32. रणजीत पुत्र नानूराम भार्गव जाति भार्गव निवासी ग्राम खुडी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
33. फूसीदेवी पत्नी त्रिलोकचन्द महला जाति जाट निवासी ग्राम सानण तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
34. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सुजानगढ़ जिला चूरू ....अप्रार्थीगण
35. अनिता पुत्री सोहनलाल जाति जाट निवासी ग्राम खुडी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
36. इन्द्रा पुत्री सोहनलाल जाति जाट निवासी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
37. छोटूदेवी पत्नी सोहनलाल जाति जाट निवासी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
38. भंवरी पुत्री सोहनलाल जाति जाट निवासी ग्राम खुडी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान

.... गौण अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थितः–

1. श्री आशा देवी एडवोकेट प्रार्थीनीगण।
2 श्री शाहबाज खान एड. अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 04, 08, 09, 16 ता 33 तथा गौण अप्रार्थीगण संख्या 35 ता 38 ।
3 श्री डूंगरसिंह एड. अप्रार्थीगण संख्या 10 ता 15 की ओर से।
4 श्री पेरोकार राज. राज्य पक्ष की ओर से।
5 अप्रार्थीगण संख्या 05 ता 07 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते सुजानगढ़ जिला चूरू

–: आदेश :–

प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीनी संख्या 1 का खेत खसरा संख्या 556 क्षेत्रफल 5.6902 हैक्टेयर व प्रार्थीगण एवं गौण अप्रार्थीगण संख्या 35 ता 38 संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 627/556 क्षेत्रफल 2.1496 हैक्टेयर ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की अगुणी रोही में स्थित है। खसरा संख्या 556 व खसरा संख्या 627/556 दोनों चिपते हैं। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के उक्त दोनों खसराजात के खेतों के चारों पुख्ता सींवें नहीं है उक्त दोनों खेतों के सीवों के चिन्ह स्पष्ट नहीं होने से प्रार्थीगण ने खेत खसरा सख्या 556 व 627/556 के संबंध में सीमाकंन कराने का आवेदनपत्र दिनांक 06.12.2023 को तहसीलदार सुजानगढ़ के प्रस्तुत कर दिनांक 14.12.2023 को उक्त खेतों की सीमा चिन्ह कायम किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 जो खेत खसरा संख्या 556 के चिपते दक्षिण तरफ के व खेत खसरा संख्या 960/555 के संयुक्त खातेदार हैं, अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 7 रोही खुड़ी के खेत खसरा संख्या 961/555 के संयुक्त खातेदार है, खेत खसरा संख्या 961/555 जो खसरा सख्या 556 व खसरा संख्या 627/556 के दक्षिण तरफ चिपता हुआ है, अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 9 खेत खसरा संख्या 558 व 565 का खातेदार कालू फौत हो चुका है जिसके वारिसान अप्रार्थीगण संख्या 16 ता 25 है, खसरा सख्या 557 ग्राम रोही ग्राम खुड़ी जो खसरा संख्या 627/556 के आथूणी तरफ है, अप्रार्थीगण संख्या 10 ता 14 खेत खसरा संख्या 557 के संयुक्त खातेदार है। अप्रार्थीनी सख्या 15 खेत खसरा संख्या 1008/545 की अकेली खातेदार है खेत खसरा संख्या 1008/545 खेत खसरा संख्या 627/556 के चिपता उतरादी तरफ है। प्रार्थीगण के खेत खसरा 556, 627/556 के चिपता उतरादी तरफ खेत खसरा संख्या 546 व 547 है, खसरा संख्या का खातेदार कालू फौत हो चुका है। खातेदार कालू की पत्नी व कालू के पुत्रगण नोपाराम व मोबाराम तथा नोपाराम व मोबाराम की दोनों पत्नियां भी फौत हो चुकी है, मोबाराम का एक पुत्र नेमीचन्द भी फौत हो चुका है। खातेदार कालू के वारिसान का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है फिर भी खातेदार कालू के वारिसान एवं उतराधिकारिगण को अप्रार्थीगण संख्या 16 ता 25 संयोजित किया गया है, खेत खसरा संख्या 556 ग्राम खुड़ी के चिपता पूर्वी तरफ खेत खसरा सख्या 550 ग्राम खुड़ी है, जिसके संयुक्त

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

दार अप्रार्थीगण संख्या 26 ता 30 है, खेत खसरा संख्या 556 ग्राम खुड़ी के पूर्वी तरफ स्थित खेत
संख्या 551 है जिसके संयुक्त खातेदार अप्रार्थीगण संख्या 31 ता 33 है, अप्रार्थी संख्या 34 उक्त
भूमियों के भूमि–धारक होने से पक्षकार संयोजित किया गया है। गौण अप्रार्थीगण संख्या 35 ता 38
प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 627/556 के संयुक्त खातेदार होने से एवं प्रार्थीगण के समान ही
अधिकार निहित होने से तथा गौण अप्रार्थीगण के गावं से बाहर अलग–अलग स्थानों पर रहकर व्यापार
हैं इसलिए गौण अप्रार्थीगण संयोजित किया गया है। खेत खसरा संख्या 558 व 565 का संयुक्त
दार कालू पुत्र मोती व खेत खसरा संख्या 546 व 547 का खातेदार कालू पुत्र बुधा दोनों एक ही
त थे, राजस्व रिकॉर्ड में खेत खसरा संख्या 558 व 565 में कालू पुत्र मोती गलत अंकित हो गया
के वास्तविक नाम कालू पुत्र बुधा ही था।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 33 खेत खसरा संख्या 556 क्षेत्रफल 5.6902 हैक्टेयर व प्रार्थीगण एवं गौण
र्थीगण संख्या 35 ता 38 संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 627/556 क्षेत्रफल 2.1496 हैक्टेयर
खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की अगुणी रोही में स्थित है की सीवों को ट्रेक्टर से करावा
ाकर भूमि को समतल कर आगे बढ कर उस पर कब्जा करने पर उतारू है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता
प्रार्थीगण को खेत पर नाजायज रूप से कब्जा व काश्त करने की धमकी देते हैं तथा प्रार्थीगण की भूमि
सीवों को काट–काट कर कब्जा करने की कुचेष्टा कर रहे हैं इसलिए प्रार्थीगण को अपने खातेदारी,
जा–काश्त की भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पुख्ता पत्थरगढ़ी के निशानात कायम करवाना चाहते हैं।
लिए प्रार्थीगण को कानूनी अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खेत खसरा संख्या
6 क्षेत्रफल 5.6902 हैक्टेयर व 627/556 क्षेत्रफल 2.1496 हैक्टेयर वाके रोही खुड़ी तहसील सुजानगढ़
ला चूरू की पैमाइश हल्का पटवारी से करवाई जाकर प्रार्थीनी के खेत खसरा संख्या 556 क्षेत्रफल 5.
02 हैक्टेयर व 627/556 क्षेत्रफल 2.1496 हैक्टेयर की सीमा जंहा कायम होती हैं वहां पत्थरगढ़ी करवाई
ाकर पुख्ता सीमाज्ञान के निशानात कायम करवाये जाने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।
प्रार्थीगण संख्या 01 ता 04, 08, 09, 16 ता 33 तथा गौण अप्रार्थीगण संख्या 35 ता 38 की ओर से
कबाल जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 05 ता 07 बावजूद विधिवत तामील उपस्थित नहीं होने
र एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 11 को जवाब हेतु काफी अवसर दिये जाने
के बाद भी जवाब पेश नहीं किया जाने पर जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 34 पैरोकार राज ने
करण में राजकीय पक्ष प्रभावित नहीं होने से कोई आपति नही होने का अंकन किया।

अप्रार्थीगण संख्या 10 व 12 ता 15 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि
प्रार्थना–पत्र में वर्णित दोनों खेतों के चारों ओर पुख्ता सीवें कायम है उक्त दोनों खेतों के सीवों के चिन्ह
स्पष्ट रूप से है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित वादगत भूमि की सीवों को ट्रेक्टर से कटवाकर भूमि
को समतल कर आगे उस पर कब्जा करवाने पर उतारू होने तथा प्रार्थीनी को डराने धमकाने व नाजायज
रूप से कब्जा–काश्त करने के तथ्य गलत अंकित किये हैं जो गलत हैं तथा प्रार्थना–पत्र में अंकित शेष
तथ्य जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी व कब्जा–काश्त की भूमि का
पत्थरगढ़ी करवाने के निशान कायम करवाने का अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारीज
फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण के
दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण के
खातेदारी व कब्जा–काश्त की भूमि खेत खसरा संख्या 556 व 627/556 रोही ग्राम खुड़ी तहसील
सुजानगढ़ की भूमि की पैमाइश करवाई जाकर भूमि की सीमा जहां कायम होती है वहां पत्थरगढ़ी करवाई
जाकर पुख्ता सीमाज्ञान के निशानात कायम करवाये जाने का कथन किया। अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 04,
08, 09, 16 ता 33 तथा गौण अप्रार्थीगण संख्या 35 ता 38 के अधिवक्ता ने इकबाल जवाब प्रार्थना–पत्र में
वर्णितानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने बाबत निवेदन किया। अप्रार्थीगण संख्या 10 व 12
ता 15 के अधिवक्ता ने अपने जवाब प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना–पत्र खारीज करने का
निवेदन किया।

पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष पर मनन
किया गया। सुसगंत विधि का अध्ययन किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 10 व 12 ता 15 के अधिवक्ता ने
अपने जवाब प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना–पत्र खारीज करने का निवेदन किया है लेकिन
प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र क्यों खारीज किया जाये, का उल्लेख अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में नहीं किया है।
प्रार्थीनी संख्या 01 ने तहसील में दिनांक 06.12.2023 को सीमांकन करवाने हेतु आवेदन किया जिस पर
पटवारी ने दिनांक 18.12.2023 को मौके पर जाकर सीमाज्ञान जरीब चलाकर करवा दिया। चूंकि पक्षकारान

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

...सा सीमा को लेकर विवाद है तथा प्रार्थीगण अपनी खातेदारी व कब्जा–काश्त की भूमि का सींमाकन ...वाकर पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकारीणी है, जिसका उसको कानूनन अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में ...यालय प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना उचित समझता है।

आदेश

...परोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को ...ादेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 556 व 627 / 556 रोही ग्राम खुड़ी तहसील ...ुजानगढ़ की भूमि का नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर वर्तमान काश्त कटाई होने के बाद नियमानुसार ...माइश करवाई जाकर भूमि की सीमा जहां कायम होती है वहां पत्थरगढ़ी करवाई जाकर पुख्ता सीमाज्ञान ...ः निशानात कायम करवाया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को नियमानुसार पालनार्थ प्रेषित ...ा।

यह आदेश आज दिनांक 14.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित ...वं मुद्रांकित किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
सुजानगढ़ जिला–चूरू

(ओमप्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़